झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्र सं०—08/ज०सं०(नि०) ल०सिं० राँची—20/2013 ..../राँची, दिनांक ....

आदेश

श्री श्याम नाथ दूबे (ID-M444) तदेन सहायक अभियंता, समग्र योजना अन्वेषण एवं जल विज्ञान 01, के विरूद्ध संकल्प सं०— 1505 दिनांक— 25.06.2014 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही में निम्न दण्ड दिया गया है :—

देय पेंशन से 10% की कटौती सदा के लिए।

2. उक्त दण्डादेश के विरूद्ध श्री दूबे का अपील आवेदन/पुनर्विचार आवेदन में मुख्य रूप से निम्न बिन्दुओं को रखा गया है :—

(i) वे कर्त्तव्य पर उपस्थित रहे हैं। उन्हें प्रताड़ित करने के नियत से उनसे कार्य नहीं लिया जाता था। अनुपस्थित रहने का कोई कारण पृच्छा नहीं पूछा गया। वर्णित अवधि में उनके विरूद्ध विभाग को कोई प्रतिकूल आदेश नहीं है।

(ii) कालान्तर में स्थानान्तरण के फलस्वरूप वे नवपदस्थापित स्थल पर दिनांक— 02.07.2012 को योगदान किये एवं 30.06.2013 को सेवानिवृत हो गये।

(iii) उनके विरूद्ध मेसो कार्यालय द्वारा FIR दायर किया गया था, परन्तु उसमें अंतिम प्रतिवेदन अनुसंधानकारी द्वारा समर्पित किया गया है।

(iv) पत्रांक— 221 दिनांक— 18.07.2013 द्वारा बकाया वेतन का लिये गये भुगतान को जमा करने का निर्देश दिया गया था, परन्तु यह आदेश उनसे सेवानिवृति की तिथि दिनांक— 30.06.2013 के बाद दिया गया जो मान्य सिद्धान्त के प्रतिकूल है, यह एकपक्षीय आदेश है।

(v) उनपर लगाया गया आरोप मनगढ़ंत है, फलस्वरूप आरोप मुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

3. उल्लेखनीय है कि अधीक्षण अभियंता, समग्र योजना अन्वेषण एवं जल विज्ञान, राँची के पत्रांक— 87 दिनांक— 26.03.2014 द्वारा समर्पित प्रतिवेदन एवं आरोप पत्र के आधार पर श्री दूबे के विरूद्ध संकल्प संख्या— 1505 दिनांक— 25.06.2014 द्वारा पेंशन नियमावली के नियम— 43बी के तहत् संचालित विभागीय कार्यवाही में जिसमें निम्न आरोप थे :—

आरोपः—

(i) बिना सूचना या अवकाश के कार्यालय से अनुपस्थित रहना। FIR होने पर भी नवपदस्थापित अंचलीय कार्यालय को अंधेरे में रखना/तथ्य को छिपाना/ स्थानान्तरण होने पर बिना प्रभार सौंपे छल से प्रभार स्वयं विमुक्त करना तथा छल से वेतन पुर्जा प्राप्त कर कार्य से अनुपस्थित अवधि का वेतन निकासी करना।

आरोप की विवरणी :—

(i) पूर्व पदस्थापित लघु सिंचाई अनुमंडल कार्यालय से बिना पूर्वानुमति के जून 2010 से जून 2012 तक अनुपस्थित रहना।

(ii) मेसो कार्यालय से FIR होने पर इस तथ्य/साक्ष्य को छुपाना तथा इस कार्यालय में योगदान के पश्चात् उक्त दिनों का छल से वेतन प्राप्त कर लेना।

(iii) इस कार्यालय में गलत undertaking देकर गुमराह करना।

(iv) कोषागार डोरण्डा को भी गलत शपथ पत्र देकर जालसाजी के तहत् उक्त अवधि का वेतन प्राप्त करना।

(v) इस कार्यालय के पत्रांक– –221 दिनांक– 18.07.2013 द्वारा निदेशित करने पर भी उक्त अवधि का वेतन कोषागार में नहीं जमा करना।

साक्ष्य तालिका :

(i) FIR की छायाप्रति।

(ii) कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, लातेहार का पत्रांक– 640 दिनांक– 14.08.2010 जिसमें जिक्र है कि आप कार्यालय आना छोड़ दिये है तथा अन्य सहायक अभियंता से अनुमंडल का कार्य करने हेतु प्राधिकृत करना।

(iii) ई० दूबे का पत्रांक– शून्य दिनांक– 18.10.2012 जिसमें जिक्र है कि भविष्य में गड़बड़ पाये जाने पर किसी समय वसूली की जा सकती है।

(iv) डोरण्डा कोषागार को प्रेषित शपथ पत्र की छायाप्रति।

4. संचालन पदाधिकारी ने श्री दूबे के विरूद्ध गठित आरोपों को प्रमाणित पाया है।

5. विभाग द्वारा सम्यक समीक्षोपरान्त संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए इसकी प्रति के साथ श्री दूबे के विरूद्ध पेंशन से 10% की कटौती के दण्ड प्रस्ताव के साथ विभागीय पत्रांक– 1745 दिनांक– 13.04.2015 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा पूछा गया।

श्री दूबे से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के समीक्षोपरान्त माननीय विभागीय मंत्री के अनुमोदनोपरान्त इसे अस्वीकृत कर विभागीय पत्रांक– 3762 दिनांक– 21.07.2015 द्वारा इनके विरूद्ध निम्न दण्ड अधिरोपित किया गया :–

(i) देय पेंशन से 10% की कटौती सदा के लिए।

6. अतएव, दण्डादेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है एवं इसमें विहित प्रक्रिया का पालन किया गया है।

7. मामले के समीक्षोपरान्त निम्न तथ्य पाया गया है :–

(i) श्री श्यामनाथ दूबे, तदेन सहायक अभियंता, लघु सिंचाई अनुमंडल, लातेहार के विरूद्ध मेसो कार्यालय द्वारा मनिका थाना कांड सं०–23/10 दिनांक– 21.04.2010 दर्ज किया गया था।

(ii) श्री दूबे के विरूद्ध FIR दर्ज होने एवं इनके द्वारा कार्य नहीं करने के कारण कार्यपालक अभियंता के पत्रांक– 640 दिनांक– 14.08.2010 द्वारा श्री दूबे के कार्य का अतिरिक्त प्रभार सहायक अभियंता, लघु सिंचाई अनुमंडल, चन्दवा को दिया गया जिसकी प्रतिलिपि सहायक अभियंता/कनीय अभियंता, लघु सिंचाई अनुमंडल, लातेहार परिक्षेत्राधीन को प्रेषित है। श्री दूबे द्वारा अनुमंडलीय रोकड़बही में अंतिम रूप से दिनांक– 30.06.2010 को हस्ताक्षर अंकित किया गया है। रोकड़बही में दिनांक– 31.07.2010 को कोई हस्ताक्षर नहीं है। उक्त आदेश के बाद दिनांक– 30.08.2010 से रोकड़बही में प्राधिकृत सहायक अभियंता द्वारा हस्ताक्षर किया गया है।

(iii) कार्यपालक अभियंता के पत्रांक– 643 दिनांक– 10.11.2014 द्वारा प्रतिवेदित है कि श्री दूबे के द्वारा माह जून 2010 से माह जून 2012 तक का कोई वेतन विपत्र उपस्थापित नहीं किया गया।

(iii) श्री दूबे द्वारा दिनांक– 08.12.2011 को विभाग में आवेदन दिया गया जिसमें इन्होंनें निकट भविष्य में सेवानिवृत होने एवं स्थलीय कार्य में कठनाई होने के आधार पर लघु सिंचाई अनुमंडल, लातेहार से अकार्य कोटि में स्थानान्तरण करने का अनुरोध किया, इसमें अन्य किसी बात का उल्लेख नहीं किया गया।

(iv) विभागीय अधिसूचना सं०– 3019 दिनांक– 30.06.2012 के द्वारा इनका स्थानान्तरण लघु सिंचाई अनुमंडल, लातेहार से समग्र योजना अन्वेषण एवं जल विज्ञान, राँची के कार्यालय में किया गया जहाँ इनके द्वारा दिनांक– 02.07.2012 को योगदान किया गया, परन्तु पूर्व के कार्यालय का प्रभार त्याग प्रतिवेदन इनके द्वारा समर्पित नहीं किया गया।

(v) श्री दूबे के स्वयं के अनुरोध के आलोक में महालेखाकार कार्यालय द्वारा वेतनपूर्जा निर्गत किया गया। महालेखाकार कार्यालय से श्री दूबे का प्रभार त्याग प्रतिवेदन प्राप्त करने के उपरान्त पता चला कि श्री दूबे ने महालेखाकार कार्यालय में वेतनपूर्जा निर्गत हेतु जो प्रभार त्याग प्रतिवेदन समर्पित किया था उसमें किसी पदाधिकारी का प्रतिहस्ताक्षर ही नहीं था।

(vi) श्री दूबे ने नवपदस्थापित कार्यालय समग्र योजना अन्वेषण एवं जल विज्ञान, राँची में आवेदन किया कि पूर्व पदस्थापित कार्यालय (लघु सिंचाई अनुमंडल लातेहार) में माह जून 2010 से माह जून 2012 का वेतन प्रर्याप्त आवंटन के अभाव में नहीं मिला था अतएव, उक्त बकाया वेतन का भुगतान किया जाय, इसमें कोई अनियमितता रहने पर वे पूरी राशि लौटा देंगे। इसी प्रकार का शपथ पत्र इन्होंने कोषागार में भी समर्पित किया।

इस प्रकार इन्होंने गलत तथ्य देकर लघु सिंचाई अनुमंडल, लातेहार के पदस्थापन अवधि माह जून 2010 से माह जून 2012 का बकाया वेतन नव पदस्थापित कार्यालय समग्र योजना अन्वेषण एवं जल विज्ञान कार्यालय, राँची से प्राप्त कर लिया।

(vii) श्री दूबे के सेवानिवृति (दिनांक– 30.06.2013) के उपरान्त अधीक्षण अभियंता, समग्र योजना अन्वेषण एवं जल विज्ञान, राँची के पत्रांक–221 दिनांक– 18.07.2013 द्वारा उक्त बकाया वेतन का लिये गये भुगतान को जमा करने का निर्देश उन्हें दिया गया था, परन्तु इनके द्वारा राशि जमा नहीं की गई। इसकी वसूली के लिये अधीक्षण अभियंता द्वारा माननीय व्यवहार न्यायालय, राँची में मुद्रावाद संख्या–514/2017 दायर किया गया है।

8. श्री दूबे ने अपील आवेदन में ऐसा कोई तथ्य एवं साक्ष्य नहीं दिया है जिससे यह स्पष्ट हो कि वे उक्त अवधि में कर्त्तव्य पर उपस्थित होकर कार्य किये हैं। इन्हें कोई कार्य आवंटित नहीं किये जाने अथवा इन्हें प्रताड़ित करने के संबंध में इनके द्वारा उच्चाधिकारी अथवा विभाग को कोई पत्राचार किया गया है।

बिना प्रभार त्याग प्रतिवेदन के स्थानान्तरित स्थान पर योगदान/प्रभार ग्रहण करने एवं प्रभार त्याग प्रतिवेदन पर किसी पदाधिकारी का हस्ताक्षर नहीं रहने तथा महालेखाकार को बिना नियंत्री पदाधिकारी के हस्ताक्षर वाला प्रभार त्याग प्रतिवेदन वेतन पूर्जा हेतु समर्पित करने के बचाव में और इन्हें आवंटन के अभाव में लघु सिंचाई अनुमंडल, लातेहार के कार्यालय में जून 2010 से जून 2012 तक का वेतन भुगतान न होने आदि के संबंध में बिन्दुओं के बचाव में इनके द्वारा कोई प्रमाणिक तथ्य/साक्ष्य नहीं दिया गया है।

जबकि उपर्युक्त वर्णित तथ्यों एवं साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि लघु सिंचाई अनुमंडल, लातेहार में श्री दूबे माह जून 2010 के बाद से लेकर जून 2012 तक कर्त्तव्य पर उपस्थित नहीं हुए हैं और न ही कोई कार्य किये हैं। इन्होंने तथ्यों को छुपा कर तथा गलत तथ्य देकर नवपदस्थापित कार्यालय से पूर्व के कार्यालय का उक्त अनुपस्थित अवधि का बकाया वेतन प्राप्त कर लिया। संचालन पदाधिकारी ने भी आरोपों को प्रमाणित पाया है। इनके विरूद्ध प्रमाणित आरोप असंतोषजनक सेवा एवं घोर कदाचार (grave misconduct) के अन्तर्गत है।

9. अतएव, इनके अपील आवेदन/पुनर्विचार आवेदन को अस्वीकृत करते हुए पूर्व में विभागीय पत्रांक– 3762 दिनांक– 21.07.2015 द्वारा अधिरोपित दण्ड को यथावत् रखे जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

एतद् द्वारा उक्त निर्णय को संसूचित किया जाता है।

ह०/–

(मनोज कुमार)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक : 939 राँची/दिनांक 18/02/21

प्रतिलिपि :– मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, जल संसाधन विभाग, राँची/उप सचिव (प्रबंधन), प्रशाखा–02, जल संसाधन विभाग, राँची/श्री श्यामनाथ दूबे (ID-M444), सेवानिवृत सहायक अभियंता, फ्लैट नं०– 301, ब्लॉक 8, सेक्टर–1, पोस्ट–हटवार, थाना–खेलगाँव, राँची–835217/वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18/02/21
(मनोज कुमार)
सरकार के अवर सचिव

D:\MINZ\Letter\Order\08_J.S (N)_L.S_Ranchi_20_2013 (Syamnath Dubey)_2021.docx 5